

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

- परियोजना या रकीम की अवस्थिति **खंजरा कोटी कि.मी. 4 के ऊपरी करसीला पौथ में जली तम**
16. परियोजना या रकीम की अवस्थिति **खंजरा कोटी कि.मी. 4 के ऊपरी करसीला पौथ में जली तम**
- (i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र :— उत्तराखण्ड
- (ii) जिला :— टिहरी गढ़वाल
- (iii) जिला वन प्रशासन :— नरेन्द्रनगर
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति:
17. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
- (i) वन का प्रकार :— **मिश्रित**
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व **८०-३०**
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना :— संलग्न है।
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए - **कोई नहीं** कार्यकरण योजना का नुस्खा
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि - **शूर्वनानिक रिपोर्ट फ़्लैग** की रथलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली - **600 मीटर लांबाग** प्रस्तावित वन भूमि की लगागग दूरी :
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली - **कोई नहीं** प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा :
- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के - **कोई नहीं** लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, **-नहीं** हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, **नहीं** हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी - **नहीं** गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरण के खतरे की - **नहीं** प्रजातियाँ हैं, यदि हाँ तो उसके ब्यौरे
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण रांगमारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए - **नहीं** साक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा है)
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विरतार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - **नमूनत्यक अपरिहार्य** **कोई नहीं**
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- नहीं

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के नहीं विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

25. (i) क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।

(ii) अवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शीत करने वाले 1:50,000 गाप के गूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सार्वभौमिक वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, सामय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्ताता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रगाण पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

26. वनरपति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के रामाधात से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रका । में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशों

नहीं

तेजगत है

संतुष्ट है

(हाँ)

12.28 752 लारव

हाँ

हाँ

हरताक्षर नाम भासकीय मुद्रा

स्थान: अमृतपुरा

तारीख:

वन श्रमिक संघ
वर्ष 2023
मूलिकी दिन